


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज राकेश बनाम कैलाश प्रार्थना पत्र संख्याजीसीएमएस नम्बर 2022/672	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.06.23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2021 से तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा आज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p>	


 (अन्तरसिंह नेहरा)
 संभागीय आयुक्त,
 जयपुर।